



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन 1939 (श10)
(सं0 पटना 186) पटना, बुधवार 7 मार्च 2018

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

7 मार्च 2018

एस0 ओ0 149 दिनांक 7 मार्च 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 126 दिनांक 23 जनवरी, 2018 जिसे संख्या 51 दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत बिहार राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था को, उन बातों के सिवाए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है, विखंडित करते हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 07 मार्च, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-I)648)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

प्रधान सचिव।

7 मार्च 2018

एस०ओ० 149 दिनांक 7 मार्च 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-I)648)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

प्रधान सचिव।

The 7th March 2018

S.O.149, dated 7th March 2018—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the Commercial Taxes Department, Notification No. S.O. 126 dated the 23rd January, 2018 published in the Bihar Gazette, vide number 51 dated the 23rd January, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force with effect from 7th March, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-I)648)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 186-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>